फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा

प्रकाश कुमार बनाम हिरकन वगैरा

किस्म मुकदमा– राजस्व आवेदन

मुकदमा नम्बर–296 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म कार्रवाई मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.09.2025	प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मेहराराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरिए सम्मन / नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 29.09.2025 को पेश हो।	
29/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वास्ते पुनः बरामद करने राजस्व आवेदन संख्या 333/2024 आदेश दिनांक 03/09/25 अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 CPC पर बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि उपरोक्त अनवान का राजस्व आवेदन न्यायालय द्वारा दिनांक 03/09/25 को अदम पैरवी व अदम हाजरी मे खारिज कर दिया गया। दिनांक 03/09/25 को वकील की अनुपस्थिति मे अदम पैरवी व अदम हाजरी मे खारिज कर दिया गया जिसकी प्रार्थी वकील ने प्रार्थी को सूचना नहीं दी तथा प्रार्थी को इस बात का ज्ञान नहीं था, इस कारण अदालत हाजा में उपस्थित नहीं हो सका प्रार्थी वकील ने प्रार्थी को पेशी तारीख पर आने से मना कर रखा था इस कारण प्रार्थी भी उप. नहीं हो सका [illegible] प्रार्थी जानबूझकर अनु. नहीं हुआ [illegible] कारण की वजह से उपस्थित नहीं हुआ। वकील की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती। वकील प्रार्थी द्वारा अदम पैरवी में खारिज करने से पूर्व प्रार्थी को सूचित नहीं किया तथा नहीं अदालत हाजा द्वारा प्रार्थी को नोटिस दिया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 15:00:18 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थी को इस बात की जानकारी तब हुई जब विद्यार्थीगण प्रार्थी के कब्जे-काश्त मे दखलअंदाजी करने लगे तब प्रार्थी ने विद्यार्थीगण को ऐसा करने से मना किया तो विद्यार्थीगण ने कहा तुम्हारा प्रार्थना पत्र अदालत मे अदम पैरवी अदम हाजरी मे खारिज हो गया तब प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रार्थना पत्र की नकले दिनांक 25/03/25 को प्राप्त की तो प्रार्थना पत्र खारिज होने की जानकारी हुई जानकारी प्राप्त होने की तारीख से प्रार्थना पत्र म्याद अवधि अंदर पेश है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र पुन: बरामद किए जाने का आदेश फरमावें। अत: प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र को पुन: बरामद करने के आदेश दिये जाते हैं पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinar
Date: 2025.12.02 15:00:18
Reason: SelfAttested